

आर.ई-अ.ज. : 59



**अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**  
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)  
विद्युत भवन, हाथी भाटा, जयपुर रोड़, अजमेर-305001  
No - 6264

क्रमांक: अ.वि.वि.नि.लि.,/अ.एवं प्र.नि/अ अ(योजना)/प्रे. दिनांक:

11 MAR 2003

आदेश-777.

विषय:- मृत भूतपूर्व सैनिक के पिता/पौत्र या वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम से सामान्य श्रेणी कृषि कनेक्शन में वरीयता देने के संबंध में।

निगम के आदेश संख्या आर.ई. अज-28 दिनांक 20 मई'2002 के पैरा 2 के अनुसार कार्यरत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिये "कट- आफ- डेट" से तीन वर्ष की प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है।


इसी क्रम में समन्वय समिति की 52 वीं बैठक में दिनांक 10 फरवरी'2003 को लिये गये निर्णयानुसार भूतपूर्व सैनिक की विधवा की मृत्यु हो जाने पर या विधवा के नाम भूमि नहीं होने पर मृत भूतपूर्व सैनिक के पुत्र, पुत्र के जीवित न होने पर पिता, पौत्र अथवा किसी अन्य वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम की भूमि होने पर सामान्य श्रेणी की "कट- ऑफ डेट" से तीन वर्ष की प्राथमिकता से सामान्य कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

( बी.एल. आर्य )  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता ( पवस ), अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
3. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक, अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
4. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स./झु.स.),अविविनिलि,.....
5. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/ सतर्कता),अ.वि.वि.नि.लि, .....
6. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि, .....
7. उपसचिव (प्रशा. एवं का.-I/II),अविविनिलि, अजमेर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी ( राजस्व/आ. अंकेक्षण ), अ.वि.वि.नि.लि., .....
9. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सूचनार्थ।
12. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

  
अधीक्षण अभियन्ता ( योजना )